

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी. 3-14/2019/एक/3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- राज्य शासन की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण।

संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी. 3-4/2016/1/3, दिनांक 12 जुलाई, 2016, एवं परिपत्र क्रमांक सी. 3-4/2016/1/3, दिनांक 5 जून, 2017.

संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए निर्धारित आयु-सीमा के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा वर्दीधारी पदों के लिए जारी परिपत्र दिनांक 5 जून, 2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्रं.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले वर्दीधारी पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए		म.प्र. लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए	
		न्यूनतम वर्ष में	अधिकतम वर्ष में	न्यूनतम वर्ष में	अधिकतम वर्ष में
1.	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	21	33	18	33

.....2

2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/ महिला आवेदक (अनु.जा./अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक	21	38 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)	18	38 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)
----	---	----	---	----	---

2/ उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट केवल राज्य सेवा परीक्षा, 2019 में भी प्राप्त होगी।

3/ यह आदेश मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 6 दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 में लिए गए निर्णय के पालन में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,

तथा आदेशानुसार

(धरणेन्द्र कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग


पृष्ठांकन क्रमांक सी. 3-4/2019/एक/3
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019

1. सचिव, राज्यपाल, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश।
4. मान. मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश।
5. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।

3.

6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
 7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 8. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
 9. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 10. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 11. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 13. सचिव, राज्य निर्वाचन, भोपाल।
 14. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 15. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर, भोपाल।
 16. सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
 17. सचिव, मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
 18. मुख्य सचिव के उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
 19. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/गवालियर।
 20. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 21. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 22. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
 23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
 24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग